



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

nwda.gov.in



File No. ADMIN-20079/1/2024/ 6931-34

दिनांक 04.09.2024

परिपत्र

विषय: AEBAS पर उपस्थिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, मुख्यालय की AEBAS की प्रतिदिन की दैनिक रिपोर्ट में यह देखा जा रहा कि लगभग 50 फीसदी अधिकारी/कर्मचारी ही कार्यालय में निर्धारित समय से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और लगभग 50 फीसदी अधिकारी/कर्मचारी अपनी उपस्थिति देरी से दर्ज करा रहे हैं।

2. अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह किया जाता है कि कार्यालय समय (9:30AM to 6:00PM कुल साढ़े आठ घंटे) की समयपालन सुनिश्चित करे। कार्यालय समय का अनुपालन नहीं करने एवम आदतन देर से आने और जल्दी कार्यालय छोड़ने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध मौजूदा नियमों के तहत खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(खुशाल सिंह)

उपनिदेशक प्रशा.

प्रतिलिपि:-

1. All officers/officials
2. Notice board
3. E-office notice board
4. Guard File

प्रति सूचनार्थ:-

1. महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव, रा.ज.वि.अ नई दिल्ली।
2. मुख्य अभियंता (मुख्या.) के निजी सचिव, रा.ज.वि.अ नई दिल्ली।

